# अध्याय IV : कार्य एवं सैन्य इंजीनियर सेवाएं

## 4.1 परामर्श शुल्क का अनावश्यक भुगतान

**परामर्शदाता को किए जाने वाले भुगतान की शर्तों, जैसा कि सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन/त्रिपक्षीय अनुबंध में परिकल्पित थी, से विचलन के कारण परामर्शदाता मैसर्स मैकॉन को परामर्श शुल्क के रूप में ₹34.48 करोड़ की अनावश्यक देयता और असमकालिक भुगतान हुआ।**

सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सी सी एस) ने ₹751.89 करोड़ की लागत पर केन्द्रीय आयुध डिपो (सी ओ डी) आगरा और जबलपुर के आधुनिकीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया (मार्च 2007), जो कि 45 महीने के अन्दर अर्थात दिसंबर 2010 तक पूरा किया जाना था।

सी ओ डी के आधुनिकीकरण के लिए परामर्श कार्य तथा अभियांत्रिकी सेवाओं के लिए रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर डी ओ)/सैन्य अभियंता सेवा (एम ई एस) और मैसर्स मेटल्लुरजिकल और इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (मैसर्स मेकॉन) के बीच एक त्रिपक्षीय अनुबंध मार्च 2008 में किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2016) किः

(i) सी सी एस के अनुमोदन के अनुसार, परामर्श शुल्क दोनों सी ओ डी के लिए 45 महीने की समयावधि के लिए निश्चित एवं नियत आधार पर दिया जाना था। त्रिपक्षीय अनुबंध में परामर्श शुल्क अनुमोदित परियोजना लागत राशि ₹751.89 करोड़ के 4 प्रतिशत पर (₹30.07 करोड़) रखा गया। अनुबंध में यह भी प्रावधान किया गया था कि अगर वास्तविक लागत अनुमोदित लागत से ज्यादा/कम होती है, तो परामर्श शुल्क परियोजना की वास्तविक समापन लागत का 4 प्रतिशत होगा। परियोजना के निष्पादन में देरी के कारण परामर्श शुल्क ₹64.55 करोड़ (अर्थात संशोधित लागत का 4 प्रतिशत) के साथ परियोजना लागत संशोधित होकर ₹1518.11 करोड़ हो गयी। इस प्रकार सी सी एस अनुमोदन के अनुसार मैसर्स मेकॉन को देय निश्चित तथा नियत परामर्श शुल्क के स्थान पर ₹34.48 करोड़ (₹64.55 - ₹30.07) की देयता त्रिपक्षीय अनुबंध में गलत प्रावधानों के कारण उत्पन्न हुई।

मुख्य निर्माण अभियंता (सी सी ई) (सी ओ डी) का उत्तर (जनवरी 2017) लेखापरीक्षा की आपत्ति (दिसंबर 2016) पर मौन था।

(ii) त्रिपक्षीय अनुबंध (मार्च 2008) के अनुसार, पूर्व एवं पश्च संविदा के संबंध में की गई प्रगति के अनुसार, मैसर्स मेकॉन को भुगतान किया जाना था तथा निर्माण कार्यों के सामायिक समापन के लिए सुधारात्मक उपाय लेने के लिए उनको रिर्पोट भी करना था।

परामर्शदाता को मार्च 2012 तक ₹30.01 करोड़ का भुगतान किया गया, तब तक की गई 37 संविदाओं में से केवल सात सविदाएं (19 प्रतिशत) ही पूरी की गई थीं और कार्य की समग्र प्रगति नंवबर 2016 तक 42 प्रतिशत थी। इस प्रकार परामर्शदाता को मार्च 2012 तक किया गया ₹30.01 करोड़ का भुगतान यह दर्शाता है कि भुगतान कार्य की प्रगति के अनुसार नहीं था।

सी सी ई (सी ओ डी) ने उत्तर दिया (जनवरी 2017) कि मेसर्स मेकॉन को त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुसार भुगतान किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कार्य की प्रगति के साथ संबद्ध भुगतान का कोई विवरण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार लेखापरीक्षा त्रिपक्षीय अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप भुगतान को सत्यापित नहीं कर सकी।

मामला दिसंबर 2016 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

## 4.2 केन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा में सुरक्षा दीवार के आंशिक निर्माण पर ₹2.51 करोड़ का निष्फल व्यय

**स्थल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में विफलता के कारण दीवार का केवल आंशिक निर्माण ही हो पाया और इससे ₹2.51 करोड़ के निष्फल व्यय के अलावा एक केन्द्रीय आयुध डिपो की सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ा।**

सैन्य अभियंता सेवाएँ सविंदा नियमावली 2007 निर्धारित करती है कि निविदा को स्वीकार करने से पूर्व दुर्ग अभियंता द्वारा यह घोषित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है कि कार्य के लिए स्थल उपलब्ध था और वह सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त था।

मुख्य निर्माण अभियंता (सी सी ई) सी ओ डी द्वारा जनवरी 2010 में ₹9.77 करोड़ के लिए केन्द्रीय आयुध डिपो (सी ओ डी) आगरा में सुरक्षा दीवार, गश्ती सड़कें, वॉच टावर, वी आई पी गेट कार्यालय आदि के निर्माण के लिए एक संविदा की गई। 25 प्रतिशत प्रगति के बाद (अप्रैल 2014), स्थल की अनुपलब्धता के कारण कार्य को समय पूर्व बंद किया गया। निष्पादित कार्य के लिए 07 दिसम्बर 2015 को ₹2.51 करोड़ का भुगतान किया गया। कार्य जुलाई 2016 तक रुका हुआ था।

लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2016) कि स्थल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में विफलता थी, जिसके कारण कार्य को समयपूर्व बंद किया गया। इसके अतिरिक्त, केवल 25 प्रतिशत कार्य के निष्पादन से, डिपो की सुरक्षा का मूल उद्देश्य नहीं पूरा किया जा सका। इस प्रकार, कार्य के आंशिक निष्पादन पर किया गया ₹2.51 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया था।

सी सी ई (सी ओ डी) ने उत्तर दिया कि स्थल की उपलब्धता से संबंधित प्रमाणपत्र को खोज निकालना कठिन था तथा इस कार्य के तहत सृजित परिसंपत्तियों का, सी ओ डी आगरा की सुरक्षा के लिए प्रयोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जा रहा था।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि स्थल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में विफलता के कारण कार्य को समयपूर्व बंद किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, केवल 25 प्रतिशत तक सुरक्षा दीवार का आंशिक निर्माण करने से, प्रयोक्ता की सुरक्षा का अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ तथा कार्य के निष्पादन पर किया गया ₹2.51 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

मामला दिसंबर 2016 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

## 4.3 कार्य के निष्पादन पर अनुचित व्यय

**फस्ट-इन-फस्ट आऊट ऑपरेशन की प्रणाली पर कैंटीलीवर टाइप रैक्स की आवश्यकता के प्रति 2000 रैकस लास्ट-इन-फस्ट-आऊट आपरेशन प्रणाली के साथ ₹5.88 करोड़ की लागत पर निर्माण कराया गया। इस प्रकार ₹5.88 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ। इसके अतिरिक्त, अनुचित विचलन आदेश देकर संविदाकार को ₹1.57 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।**

मुख्य निर्माण अभियंता (सी सी ई) (सी ओ डी) ने केंद्रीय आयुध डिपो (सी ओ डी), जबलपुर में ₹24.49 करोड़ की लागत पर डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण/निर्माण, एसेम्बली, दुकान परीक्षण, पेंटिंग, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और एकीकृत भंडारण की व्यवस्था के लिए एक निजी फर्म के साथ संविदा की (मई 2012)। संविदा की लेखापरीक्षा जाँच से निम्निलिखित अनियमितताओं का पता चलाः-

i) सी ओ डी जबलपुर के आधुनिकीकरण के लिए अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, कैंटीलीवर टाइप हेवी ड्यूटी औद्योगिक रैक, फस्ट-इन-फस्ट-आऊट आपरेशन प्रणाली के साथ गन बैरल के भंडारण के लिए प्रावधान किया जाना था जो कि महानिदेशक आयुध सेवाएं के तकनीकी निर्देश में निर्धारित था।

2000 कैंटीलीवर टाइप रैकस (डनेज ब्लॉक्स) की आवश्यकता के प्रति 2000 पैलेटस टाईप रैकस का निर्माण ₹5.88 करोड़ में कराया गया जो कि लास्ट-इन-फस्ट-आऊट (एल आई एफ ओ) आपरेशन की प्रणाली पर थे। उपयोगकर्ता द्वारा गन बैरल के स्थानान्तरण के समय, ऊपरी दो परतों में रखे गन बैरल को हटाये बिना निचली परत में रखे गन बैरल को हटाना संभव नहीं था। डनेज ब्लॉक्स पर बैरल रखते समय भी तो उसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा था। बदले हुए डिजाइन के कारण सभी तीन परतों में बैरल का भंडारण बोझिल प्रक्रिया थी और बाद में उनके रख-रखाव एवं निर्गम में कई चरणों से गुजरना होगा। डिजाइन एवं भंडारण मलटिपल हैंडलिंग के बिना फस्ट-इन-फस्ट-आऊट सिद्धांत को लागू नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार ₹5.88 करोड़ की लागत पर 2000 डनेज ब्लॉक्स का निर्माण निष्फल साबित हुआ।

उत्तर में सी सी ई (सी ओ डी) ने कहा (सितम्बर 2016) कि डनेज ब्लॉक्स का डिजाइन इस सिद्धांत पर आधारित था कि एक ही प्रकार और आकार के गन बैरल तीनों पंक्तियों पर रखे जाएंगे। शीर्ष पंक्ति में रखे बैरल पहले निकाले जाएंगे, तत्पश्चात दूसरी पंक्ति के और इसी प्रकार आवश्यकतानुसार निचली पंक्ति के। डिज़ाइन लास्ट-इन-फस्ट-आऊट पर आधारित है न कि फस्ट-इन-फस्ट-आऊट पर, क्योंकि फस्ट-इन-फस्ट-आऊट संकल्पना विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में वर्णित नहीं है।

उत्तर गलत है क्योंकि डीपीआर में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि गन बैरल के भंडारण हेतु एफ आई एफ ओ आपरेशन प्रणाली पर आधारित कैंटीलीवर टाइप रैक्स की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा डनेज सिस्टम लास्ट-इन-फस्ट-आऊट पर आधारित था और डनेज ब्लॉक्स के दोषपूर्ण डिजाइन के कारण उपयोगकर्ता को गन बैरल की हैंडलिंग में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यह डिजाइन मल्टिपल हैंडलिंग के बिना फस्ट-इन-फस्ट-आऊट सिद्धांत का पालन नहीं कर पा रहा है, जो कि डी जी ओ एस के तकनीकी निर्देश में निर्धारित भण्डार प्रबंधन नियमों के विरुद्ध है।

ii) संविदा (मई 2012) के अनुसार, 300 एम एम से 500 एम एम व्यास के गन बैरल के भंडारण के लिए डनेज ब्लॉक का प्रावधान करना था। डनेज ब्लॉक्स के वज़न को ही संविदाकार द्वारा निविदा में इंगित किया जाना था। परन्तु संविदाकार ने डनेज ब्लॉक्स के वज़न को अपनी निविदा में उद्धृत नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2016) कि संविदाकार ने डनेज ब्लॉक्स के वज़न का संकेत किए बिना 2000 डनेज ब्लॉक्स के लिए ₹22500 प्रति यूनिट उद्धृत किया था जैसाकि निविदा के निमंत्रण में आवश्यक था। संविदाकार द्वारा डनेज ब्लाकस को स्थापित किया गया था। हालांकि अप्रैल 2013 में स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा डनेज ब्लॉक्स के वज़न में वृद्धि के कारण ₹1.57 करोड़ का अधिक विचलन आदेश अनुमोदित किया गया था जो कि अनियमित था क्योंकि संविदाकार द्वारा डनेज

ब्लॉक्स को किसी भी वज़न के उपलब्ध कराया जाना था। अतः संविदाकार को ₹1.57 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था, जो कि अनुचित था।

सी सी ई (सीओडी) ने उत्तर दिया (जनवरी 2017) कि 30.4 कि.ग्रा./आरएम की संरचनात्मक इस्पात आई एस एम सी-250 जैसाकि संविदा में निर्धारित था, विनिर्माता के पास उपलब्ध ने होने के कारण 34.2 कि.ग्रा./आरएम की आई एस एम सी-250 खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और इसी वजह से डनेज ब्लॉक्स का वज़न बढ़ा था और संविदाकार को तद्नुसार भुगतान किया गया।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि डनेज ब्लॉक्स के वज़न का उद्धृत निविदा/संविदा में संकेत नहीं था। इसलिए स्टील के अतिरिक्त वज़न के कारण ₹1.57 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान अनियमित था, क्योंकि डनेज ब्लॉक्स किसी भी वज़न का संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराना था।

मामला दिसम्बर 2016 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (जनवरी 2017)।

## 4.4 सुरक्षा दीवार के निर्माण पर किया गया निष्फल व्यय

**मुख्य अभियंता, बरेली ने छावनी क्षेत्र, देहरादून में भूमि का सही संरेखण और सीमांकन किए बिना सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए एक फर्म को संविदा प्रदान की। परिणामस्वरूप, ₹1.95 करोड के व्यय के साथ फर्म द्वारा केवल 40 प्रतिशत दीवार का ही निर्माण किया जा सका, जो निष्फल साबित हुआ।**

बाधारहित भूमि के अभाव के कारण, अनुबन्धित कार्यों के निष्पादन में हो रही देरी को ध्यान में रखते हुए, मुख्यालय, मध्य कमान (एच क्यू सी सी) ने अगस्त 2009 में निर्देश दिया था कि भूमि को बाधारहित करने की प्रक्रिया, सरकार द्वारा कार्य को वार्षिक बड़े निर्माण कार्यक्रम (ए एम डब्ल्यू पी) में शामिल करने के तुरंत बाद शुरू की जाएगी। एच क्यू सी सी के निर्देशों के अनुसार उपयोगकर्ता स्तर पर सभी कमाण्डरों को बाधारहित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा पूरी तरह से तैयार भूमि पर कार्य प्रारंभ करने के लिए निविदा जारी करना आवश्यक है।

हमने देखा कि एच क्यू सी सी के निर्देशों के बावजूद, रक्षा भूमि के चारों ओर सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए बाधारहित भूमि उपलब्ध नहीं होने पर भी संविदा की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.95 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इस मामले की चर्चा नीचे की गई हैः

देहरादून में छावनी क्षेत्र की पूर्वी सीमा पर बिंडाल ब्रिज से न्यू कैंट रोड तक सुरक्षा दीवार का प्रावधान ए एम डब्ल्यू पी 2011-12 में शामिल किया गया था। व्यवहार्यता

अध्ययन एवं परियोजना दस्तावेजों के लिए अप्रैल 2011 में गठित अधिकारियों के बोर्ड (बोर्ड) ने छावनी की सुरक्षा एवं रक्षा भूमि की और अधिक अतिक्रमण से रोकथाम के लिए 4300 मीटर लम्बी और 3.00 मीटर ऊँचाई वाली सुरक्षा दीवार के निर्माण की सिफारिश की। तदनुसार, एच क्यू सी सी ने मार्च 2012 में सुरक्षा दीवार के प्रावधान के लिए ₹4.23 करोड़ की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया।

दुर्ग अभियंता (परियोजना), देहरादून (जी ई (पी)) द्वारा बाधारहित भूमि की प्राप्ति होने के पुष्टीकरण के पश्चात, मुख्य अभियंता, बरेली ने ₹3.29 करोड़ की कुल लागत पर सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए संविदा की (सितम्बर 2012)। जिसका प्रारंभ एवं समाप्ति क्रमशः 19 अक्तूबर 2012 और 18 अप्रैल 2014 नियत की गई थी।

हालांकि, परियोजना प्रबंधन समूह(पी एम जी) द्वारा दीवार के पूर्ण संरेखण को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण कार्य की शुरुआत नहीं की जा सकी। पी एम जी से नवम्बर 2013 में संरेखण के पुष्टीकरण के पश्चात ही निर्माण कार्य शुरू किया गया। फरवरी 2014 में जब कार्य की प्रगति 32 प्रतिशत थी, कमांडर निर्माण कार्य अभियंता ने संविदाकार को कार्य रोक देने का निर्देश यह कहते हुए दिया कि पी एम जी द्वारा सुरक्षा दीवार के सटीक संरेखण को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। उस दौरान जबकि, रक्षा एवं सिविल प्राधिकारियों के बीच सही सीमा को लेकर विवाद कायम था, कुछ स्ट्रेचों में, सटीक संरेखण के बिना ही संतरी पोस्ट से संबंधित कार्य, जमीनी स्तर से ऊपर की कंक्रीट कॉलम और मध्य बीम कार्य को अप्रैल 2014 में कर दिया गया । इसके अलावा, सिंचाई विभाग( राज्य सरकार, उत्तराखण्ड) ने भी यह सुझाव दिया था कि इस दीवार के निर्माण से नदी के बगल में बसी हुई मानव जीवन बाढ़ के दौरान खतरे में पड़ सकता है। इस विवाद के समाधान के लिए रक्षा संपदा अधिकारी (डी ई ओ) और सिविल राजस्व अधिकारियों द्वारा रक्षा भूमि का संयुक्त सर्वेक्षण एवं सीमा निर्धारण किया गया (जून 2014) परंतु इस विवाद का समाधान अभी तक (अप्रैल 2016) नहीं हो पाया था।

सिविल अधिकारियों के साथ निरंतर विवाद एवं स्थानीय निवासियों द्वारा लगातार हो रहे व्यवधान के कारण कुछ स्ट्रेचों में 1664 मीटर के कार्य (रीवर बेड में 1379 मीटर और रीवर बेड के अलावा 285 मीटर) के पूर्ण होने के बाद संविदाकार ने सितम्बर 2015 में ₹1.95 करोड़ के कुल भुगतान के बाद कार्य को रोक दिया और "उच्च न्यायालय,नैनिताल" में 03 मार्च 2016 को एक याचिका दायर की, जिसमें उसने ₹1.50 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान के लिए मध्यस्थता की मांग की। अप्रैल 2016 में, मुख्यालय उत्तराखण्ड उप-क्षेत्र ने सुरक्षा दीवार की कुल लंबाई को 2663 मीटर तक सीमित रखने का निर्णय लिया, क्योंकि भूभाग की स्थिति के कारण शेष भाग में निर्माण संभव नही था। एच क्यू सी सी को शेष निर्माण कार्य पर रोक लगाने का प्रस्ताव यह कहते हुए दिया गया कि संविदा की बकाया राशि जोकि

₹2.28 करोड थी, का उपयोग डी इ ओ और राज्य राजस्व विभाग से सटीक संरेखण एवं भूमि के सीमा निर्धारण की अनुमति प्राप्त होने के बाद, बचे हुए कार्य के लिए किया जा सकता है। हांलाकि, न तो संविदाकार द्वारा 2663 मीटर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया और न ही कार्य को समयपूर्व बंद करने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया।

मुख्य अभियंता ,बरेली क्षेत्र (अप्रैल 2016) ने कहा कि रीवर बैड के मध्य में निर्माण की गई दीवार के कुछ भागों में पत्थरों के क्रेटिंग का कार्य नहीं किया गया था, जोकि पानी के दबाव को रोकने और पानी के बहाव की गति को कम करने के लिए आवश्यक था। पत्थरों के क्रेटिंग का कार्य नहीं किए जाने के कारण, बाढ के दौरान दीवार के बह जाने के साथ-साथ मानव जीवन को भी खतरा था.

इस प्रकार, एच क्यू मध्य कमान के निर्देशों की उपेक्षा करते हुए भूमि के सही संरेखण/सीमांकन और कार्य की आवश्यक्ता के मूल्यांकन के बिना निर्माण कार्य के लिए संविदा करने के परिणामस्वरूप ₹1.95 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, क्योंकि मौलिक रूप से अनुमोदित सुरक्षा दीवार का एक प्रमुख भाग (61 प्रतिशत) अभी तक अपूर्ण था। जिसके कारण छावनी की सुरक्षा और रक्षा भूमि के अतिक्रमण को रोकने का प्रमुख उद्देश्य असफल रहा। इसके अतिरिक्त, संविदाकार ने विभाग की ओर से कार्य के निष्पादन में हुई असामान्य देरी के कारण न्यायालय के द्वारा ₹1.50 करोड की अतिरिक्त राशि का दावा किया था।

मामला रक्षा मंत्रालय को अगस्त 2016 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017).

## 4.5 विद्युत प्रभारों के लिए ₹32.13 करोड़ का अधिक भुगतान

**महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (एम एस ई डी सी एल) ने अगस्त 2012 में लोक सेवांए प्रदान करने वाले उपभोक्ताओं, जिनमें रक्षा स्थापनाएं भी सम्मिलित थीं, के लिए एक नयी शुल्क-दर लागू की। एम एस ई डी सी एल ने इसके अतिरिक्त, लोक सेवाओं की श्रेणी में आने वाली सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं एवं अस्पतालों तथा अन्य रक्षा स्थापनाओं के लिए जून 2015 में एक अलग शुल्क-दर लागू की। तथापि, सात दुर्ग अभियंता, जिन्हें रक्षा शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों तथा अन्य रक्षा स्थापनाओं को आपूर्ति करने हेतु एम एस ई डी सी एल से थोक में विद्युत की प्राप्ति हुई, एम एस इ डी सी एल को भुगतान करने से पूर्व लगाई गई शुल्क-दर की परिशुद्धता की जाँच करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹32.13 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।**

दुर्ग अभियंता (जी ई), राज्य विद्युत आपूर्ति एजेंसी (एस इ एस ए) को भुगतान करने से पूर्व विद्युत बिलों की पूर्व-जाँच को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दुर्ग अभियंताओं (जी ई) द्वारा एस ई एस ए को किए गए अधिक भुगतानों के बारे में बार-बार प्रतिवेदित किया गया है। अगस्त 2006 की अपनी की गई कार्रवाई की टिप्पणी (ए टी एन) में रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) ने बताया था कि संबंधित कर्मचारियों को भविष्य में एस ई एस ए को भुगतान करने से पूर्व अधिक सतर्क रहने तथा अच्छी तरह से बिलों की जाँच करने के निर्देश जारी किए गए थे। एक अन्य ए टी एन (जुलाई 2014) में एम ओ डी ने चूककर्ता कर्मचारियों के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनिक कार्रवाई के बारे में बताया था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि सात दुर्ग अभियंताओं (जी ई) ने शुल्क-दर गलत लगाए जाने के कारण विद्युत प्रभारों के लिए ₹32.13 करोड़ का अधिक भुगतान किया जैसा कि अनुवर्ती पैराओं में चर्चा की गई है।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (एम एस ई डी सी एल) ने अगस्त 2012 में लोक सेवाएं प्रदान करने वाले उपभोक्ताओं, जिनमें रक्षा स्थापनाएं भी सम्मिलित थीं, के लिए एक नयी शुल्क-दर लागू की। इसके अतिरिक्त, एम एस ई डी सी एल ने लोक सेवाओं की श्रेणी में आने वाले सरकारी शैक्षणिक संस्थानों एवं अस्पतालों तथा अन्य रक्षा स्थापनाओं के लिए जून 2015 में एक अलग शुल्क-दर लागू की।

(i) जी ई (दक्षिण) पुणे एम एस ई डी सी एल से विद्युत प्राप्त करता है तथा बाद में अलग कनेक्शनों के माध्यम से दो अस्पतालों अर्थात कमान अस्पताल (सी एच) तथा सैन्य अस्पताल कार्डियो थॉरेसिक केंद्र (एम एच सी टी सी) तथा एक शैक्षणिक संस्थान अर्थात सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय ( ए एफ एम सी) को उसका वितरण करता है। जी ई (एम एच), किरकी दो कनेक्शनों के माध्यम से एम एच, किरकी को विद्युत का वितरण करता है।

जी ई (एस) तथा जी ई (एम एच) पर दत्त विद्युत बिलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2016) से पता चला कि सी एच तथा ए एफ एम सी के संबंध में एम एस ई डी सी एल सितंबर 2012 से 'वाणिज्यिक' श्रेणी के लिए लागू दरों पर विद्युत प्रभार लगा रही थी। एम एच सी टी सी तथा एम एच किरकी के संबंध में जून 2015 से एम एस ई डी सी एल द्वारा लगाई जा रही दर सरकारी अस्पतालों एंव शैक्षणिक संस्थानों के लिए लागू श्रेणी से भिन्न थी। इस प्रकार, दोनों जी ई ने एम एस ई डी सी एल द्वारा लगाई गई दर की परिशुद्धता की जाँच किए बिना ही भुगतान किए थे।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर जी ई (एस) ने एम एम ई डी सी एल के साथ यह मामला उठाया, जो (मार्च 2016) विद्युत उपयोग के वास्तविक उद्देश्य का निर्धारण करने के लिए स्थल की जाँच करने को सहमत हुई (मार्च 2016), ताकि उपयुक्त शुल्क-दर लगाई जा सके। जी ई (एम एच), किरकी ने बताया (मार्च 2016)

कि प्रतिदाय के लिए एम एस ई डी सी एल से संपर्क किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप नंवबर 2016 तक, जब तक इस विषय को निपटाया नहीं गया था, जी ई (एस) पर ₹13.02 करोड़ तथा जी ई (एम एच) किरकी पर ₹1.19 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(ii) लेखापरीक्षा ने अन्य दो जी ई पर मामले की जाँच की, जो शैक्षणिक संस्थानों अर्थात राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ( एन डी ए) खड़कवसला और रक्षा प्रगत प्रौद्योगिकी संस्थान (डी आई ए टी), जो एक कल्पित विश्वविद्यालय है, को विद्युत का वितरण करते हैं।

एन डी ए, खड़कवसला अपने रिहायशी क्षेत्र समेत के लिए एकल कनेक्शन के माध्यम से जी ई (एन डी ए) से विद्युत प्राप्त करता है। खपत के 65 प्रतिशत के लिए रिहायशी दर पर बिल बनाया गया। तथापि शेष 35 प्रतिशत के लिए सरकारी अस्पतालों एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए लागू श्रेणी से भिन्न श्रेणी की शुल्क-दर लगाई गई। जून 2015 से नवंबर 2016 तक किया गया अधिक भुगतान ₹1.17 करोड़ का था।

जी ई (आर एंड डी), गिरिनगर डी आई ए टी को उसके रिहायशी क्षेत्र सहित विद्युत का वितरण करता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि शैक्षणिक प्रयोजन के लिए डी आई ए टी द्वारा उपभोग किए गए विद्युत के लिए वाणिज्यिक दर पर बिल बनाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जी ई (आर एंड डी), गिरिनगर ने एम एस ई डी सी एल के साथ यह मामला उठाया (अगस्त 2016), उनका उत्तर नवंबर 2016 तक प्रतीक्षित था। तब तक ₹ 2.03 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

(iii) लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि चार जी ई[18], जो शैक्षणिक संस्थानों/अस्पतालों को छोड़कर विभिन्न रक्षा स्थापनाओं को विद्युत का वितरण करते हैं, ने क्रमशः अगस्त 2012/जून 2015 से 'वाणिज्यिक' श्रेणी के अंतर्गत विद्युत बिलों का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप नवंबर 2016 तक ₹14.72 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

उत्तर में, मुख्य अभियंता, पुणे क्षेत्र (सी ई पी ज़ेड), पुणे ने बताया (नवंबर 2016) कि सैन्य अस्पताल (एम एच) 'लोक सेवाएं - सरकारी अस्पताल' की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है और एम एच केवल सैनिकों को ही सेवाएं प्रदान करता है, आम जनता को नहीं। यह भी बताया गया कि एम एस ई डी सी एल रक्षा स्थापनाओं के लिए केवल एक शुल्क - दर श्रेणी स्वीकार करती है। वे यह कहते हुए कोई अतिरिक्त रियायत देने के लिए तैयार नहीं हैं कि रक्षा स्थापनाओं के लिए मापदंड पहले ही निश्चित किए जा चुके थे। सी ई पी ज़ेड ने तथापि, बताया कि जहाँ कहीं संभव हो,

[18] जी ई आर एंड डी, गिरिनगर, जी ई (नॉर्थ) पूणे, जी ई (सेंट्रल) किरकी और जी ई, देवलाली

शुल्क दर की श्रेणी को परिवर्तित करके अधिक लाभ देने हेतु वे एम एस ई डी सी एल पर निरंतर दबाव डाल रहे थे।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि जून 2015 में किए गए उसके उपभोक्ताओं के पुनवर्गीकरण के संबंध में एम एस ई डी सी एल के आदेश में बतायी गई शुल्क दर सभी केंद्रीय सरकारी शैक्षणिक संस्थानों एवं अस्पतालों के लिए समान रूप से लागू है और चूँकि सभी एम एच तथा रक्षा शैक्षिणिक संस्थान एम ओ डी के अंतर्गत कार्य करते हैं, जो केंद्रीय सरकार के अधीन आता है, यह शुल्क दर श्रेणी इन सभी उपभोक्ताओं के लिए भी लागू है।

मामला मंत्रालय को भेजा गया था (अक्तूबर 2016), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

## 4.6 परिसंपत्तियों का उपयोग न होना

**मुख्य अभियंता,बरेली द्वारा ड्राइंग्स में बाइपास सड़क का स्पष्ट प्रावधान करने और संविदा में पूर्ण कार्य क्षेत्र को शामिल करने में विफल होने के परिणामस्वरूप सड़क निर्माण कार्य पूरा नही हो पाया था। परिणामस्वरूप, ₹7.65 करोड़ की लागत पर मई 2014 में निर्मित विस्फोटक डम्प का उपयोग नहीं किया जा सका।**

संविदा नियमावली 2007 यह निर्दिष्ट करता है कि इकमुश्त संविदा[19] के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य के पूर्ण, विस्तृत तथा सटीक कार्य क्षेत्र को ड्राइंग्स और विनिर्देशनों के माध्यम से निविदा दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सैन्य अभियंता सेवाएं (आर एम ई एस), नियमावली 2006 के अनुच्छेद 408 के अनुसार, अगर संविदा ड्राइंग्स और विनिर्देशनों पर आधारित हो तब विशेष ध्यान देने की आवश्यक्ता होती है कि ड्राइंग्स और विनिर्देशन सभी प्रकार से पूर्ण हैं।

हमने मुख्य अभियंता, बरेली क्षेत्र, बरेली (सी ई) की लेखापरीक्षा के दौरान देखा (अगस्त 2016) कि संविदा के ड्राइंग्स में गोलाबारूद डंप को बाइपास करने वाली सड़क के निर्माण से संबंधित कार्य का समावेश नहीं किए जाने के कारण ₹7.65 करोड़ की लागत पर बनाई गई परिसंपत्ति बिना उपयोग के पडी रही। इस मामले की चर्चा नीचे की गई हैः

नागरिक क्षेत्र के समीप स्थित युनिट के अस्थायी शिविरों से विस्फोटकों को हटाने के लिए अगस्त 2010 में टोह, साइटिंग और लागत निर्धारण के उद्देश्य से आयोजित अधिकारियों के बोर्ड (बी ओ ओ) ने बंगाल अभियंता समूह (बी ई जी) एवं केन्द्र रूड़की के लिए एक विस्फोटक डम्प के साथ साथ गार्ड/संतरियों के लिए एकल आवास

[19] एकमुश्त संविदा में संविदाकार एक निर्धारित राशि पर सभी कार्य को पूरा करने का वचन देता है।

बनाने की तथा 280 मीटर की वाह्य मात्रा दूरी (ओ क्यू डी) को बनाए रखने के लिए साइट से गुजरने वाले गावों के वर्तमान उपागम सडकों को हटाने की भी सिफारिश की। हटाई जाने वाली बाईपास रोड की लंबाई एवं चौडाई क्रमशः 1000 मीटर तथा 3.75 मीटर तथा स्थल की स्थिति के अनुसार पुलिया बनाना आकलित किया गया था।

बी ओ ओ की सिफारिश के आधार पर एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, (आई एच क्यू,एम ओ डी) ने मार्च 2011 में ₹8.48 करोड़ की अनुमानित लागत पर विस्फोटक डम्प के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की। तदनुसार, सीई द्वारा ₹7.65 करोड़ की एकमुश्त राशि पर संविदा की गई (अक्तूबर 2012)। कार्य की शुरुआत नवम्बर 2012 में की गई एवं इसका समापन मई 2014 तक किया जाना था।

कार्य की प्रगति के दौरान, संविदाकार ने देखा जबकि ,आस पास के गावों को कार्य स्थल से जोड़ने के लिए बाई-पास सड़क की आवश्यकता थी, किंतु संविदा समझौते के ड्राइंग्स में कहीं भी इसका प्रावधान नहीं किया गया था। संविदाकार द्वारा सी ई को यह सूचित किया गया (अप्रैल 2013) कि बाई-पास सड़क के निर्माण में अतिरिक्त निर्माण कार्य भी आवश्यक थे, जैसे कि बहुत बड़े नाले के उपर छोटे पुल का निर्माण, निचले क्षेत्रों में मिट्टी भरना ताकि उसके स्तर को 1.20 मीटर की ऊंचाई तक लाया जा सके और मिट्टी को बचाने के कुछ उपाय करना। कमांडर वर्क्स अभियंता (सी डब्ल्यू ई) (पहाड़ी क्षेत्र) देहरादून ने स्वीकार किया (जून 2013) कि ड्राइंग्स में बाई-पास सड़क को गलती से नहीं दर्शाया गया था एवं संविदा में भी इसका सही हिसाब नहीं लगाया गया था। इन कार्यों का अनुमानित खर्च ₹62.43 लाख लगाया गया जोकि संविदा में निर्धारित विचलन सीमा (10 प्रतिशत) से अधिक था। मुख्य अभियंता ने सी डब्ल्यू ई को पुलिया के निर्माण, टो दीवार और नालियों तथा निचले क्षेत्रों में मिट्टी भरने आदि कार्यों का निष्पादन अलग संविदा के माध्यम से कराने के लिए ₹22.51 लाख की राशि प्रत्यायोजित की (जनवरी 2014) । शेष कार्य जैसे बाईपास सड़क का ऊपरी परत निर्माण आदि चल संविदा के माध्यम से होना था। तदनुसार, सी डब्ल्यू ई ने मई 2014 में दूसरे फर्म के साथ अलग संविदा की एवं इस कार्य का समापन नवंबर 2014 तक किया जाना था। ये कार्य ₹23.55 लाख की लागत पर दिसम्बर 2015 तक पूरे किये गये।

सड़क के ऊपरी परत निर्माण के शेष कार्य के लिए जब जी ई रूड़की ने मुख्य परियोजना के संविदाकार से अपेक्षित सामग्री की अधिप्राप्ति करने के लिए कहा तो संविदाकार ने समापन प्रमाण-पत्र जारी करने का अनुरोध (जून 2014) यह कहते हुए किया कि संविदा के कार्य क्षेत्र के अंदर आने वाले सभी कार्य मई 2014 तक पूर्ण कर लिए गए थे और बाई-पास सड़क का निर्माण संविदा के कार्य क्षेत्र के बाहर था। संविदाकार के दावे का जी ई द्वारा यह कहते हुए खंडन किया गया कि सड़क-निर्माण-कार्य एवं कुछ अन्य कार्यों का निष्पादन संविदाकार द्वारा नहीं किया गया

था। लेकिन संविदाकार द्वारा 16 अगस्त 2014 में अंतिम बिल प्रस्तुत कर दिया गया था। भारत सरकार तथाकथित पूरे किए गए कार्य जो कि अभी तक निपटान के लिए लंबित है, के विरुद्ध मध्यस्थता में चली गयी । संविदाकार द्वारा अगस्त 2014 में अंतिम बिल प्रस्तुत किया गया जिसे जी ई रूड़की द्वारा लौटा दिया गया। संविदाकार ने उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में अपील की एवं उच्च न्यायालय द्वारा दिसम्बर 2014 में मध्यस्थ नियुक्त किया गया। तब से मामला अंतिम निर्णय के लिए मध्यस्थता में है (दिसम्बर 2016)।

दिसम्बर 2016 तक, कार्य के प्रति ₹7.65 करोड़ का कुल व्यय बुक किया गया। बाई-पास सड़क के अभाव में, गोलाबारूद डम्प क्षेत्र से गुजरती हुई वर्तमान सड़क से यातायात के विचलन न होने के कारण बनाई गई परिसंपत्तियों का उपयोग संभव नहीं था (अगस्त 2016)।

लेखापरीक्षा के उत्तर में, सी ई ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य विभिन्न जमीनी कारकों के अंतर्गत परिवर्तनशील कार्य होती है और सड़क को ड्राइंग्स में चिन्हित करना लगभग असंभव था। यह उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि नियमों में यह साफ तौर पर विनिर्दिष्ट किया गया है कि ऐसी संविदाओं में ड्राइंग्स और विशिष्टताओं का सभी प्रकार से पूर्ण होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त, सी डब्ल्यू ई द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि ड्राइंग्स से सड़क छूट गई थी, जिसके कारण प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत एक अलग संविदा संस्वीकृत की गई।

इस प्रकार इस मामले से यह प्रकट होता है कि निविदा दस्तावेजों के ड्राइंग्स में बाई-पास सड़क के कार्य को सम्मिलित करने और संविदा में बाई-पास सड़क के निर्माण कार्य से संबंधित सही कार्य क्षेत्र को समाविष्ट करने में जी ई विफल रहा था। परिणामस्वरूप, बाई-पास सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया, जिससे 2 वर्ष से अधिक समय पहले ₹7.65 करोड़ की लागत पर निर्मित गोलाबारूद डम्प बिना प्रयोग के ही पड़ा रहा।

मामला मंत्रालय को अक्तूबर 2016 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।